

कार्यालय प्राचार्य, नो० तो० पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, जावरा (मु० प्र०)

जावरा, दिनांक । - ७ -

क्र / जीपीजे / लेखा / 2016 / ।।२७८

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनताज्ञि:

| टन्ड / सत्र | शुल्क का विवरण | सामान्य वर्ग | अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनताज्ञि: | पिछड़ा दर: |
|--|--------------------------------------|---|---|---|
| | | जिनके पालकों की वार्षिक आय रुपये 2,50,000 से कम हो। | जिनके पालकों की वार्षिक आय रुपये 3,00,000 से अधिक हो। | जिनके पालकों की वार्षिक आय रुपये 75,000 से कम हो, एवं छात्रवृत्ति तथा शिक्षण शुल्क वापसी का फॉर्म भरा हो। |
| द्वितीय वर्ष के विद्यार्थी जिन्हें वर्ष 2016-17 में दूसी टर्म में प्रवेश लेना है | (1) शैक्षणिक शुल्क (2) अन्य शुल्क | 10,000 232 | 5,000 232 | 10,000 232 |
| दूसी वर्ष के विद्यार्थी जिन्हें वर्ष 2016-17 में पंचम टर्म में प्रवेश लेना है | योग | 10232 | 5232 | 10232 |
| नव प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए जिन्हें वर्ष 2016-17 में प्रथम टर्म में प्रवेश लेना है। | योग | 10232 | 5232 | 10,000 232 |
| | (1) शैक्षणिक शुल्क (2) अन्य शुल्क | 10,000 332 | 5,000 332 | 10,000 332 |
| | योग | 10332 | 332 | 332 |

नोट - सायकल स्टेण्ड एवं कॉपरेटिळ शुल्क पृथक से देय होगा। शिक्षण शुल्क में छुट प्राप्त करने के लिये आवश्यक दस्तावेज की फोटोकापी एवं मूल प्रति लाना आवश्यक है। साथ ही छात्रवृत्ति फॉर्म में शिक्षण शुल्क का लाभ व राशि दर्शाना आवश्यक है। ग्रीन कार्ड धारकों को 1 जनवरी 2003 के पूर्व कराये गये नसबंदी आपरेशन पर ही छुट प्राप्त होगी। मूल एवं फोटो कापी फॉर्म जमा करते समय ही लाना आवश्यक है। बाद में ग्रीन कार्ड के लाभ लेने पर शिक्षण शुल्क वापस नहीं किया जावेगा। चालान फॉर्म कार्टर से प्राप्त करने एवं चालान की एक कॉपी कापी फॉर्म जमा करते समय ही लाना आवश्यक है। बाद में ग्रीन कार्ड के लाभ लेने पर शिक्षण शुल्क वापस नहीं किया जावेगा। फॉस भरने की अंतिम तिथि कार्टर पर आवश्य जमा करावे। जिनकी पिछले वर्ष की फॉस बाकी है वे वह भी जमा करावे तरसके अभाव में रजिस्ट्रेशन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30-07-2016 है। उसके पश्चात फॉस व रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्वीकार नहीं किये जावेंगे। विलंब शुल्क में छुट का लाभ ले रहे हैं उन्हें शिक्षण शुल्क महाविद्यालय को वापसी हेतु फार्म अवश्य मरना होगा। पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी शिक्षण शुल्क रिफंड हेतु आदिम जाति कल्याण विभाग को छात्रवृत्ति फॉर्म में ही इस हेतु आवेदन करें।

प्रतिलिपि - (1) शैक्षणिक विभाग (2) लेखा विभाग (3) संस्था एवं छात्रावास नोटिस बोर्ड (4) प्रभारी छात्रवृत्ति विभाग को इस निर्देश के साथ कि जो विद्यार्थी शिक्षण शुल्क में संस्था एवं छात्रावास नोटिस बोर्ड छुट का लाभ ले रहे हैं उनसे शिक्षण शुल्क वापसी हेतु फार्म अवश्य मरवाया जावें।

(4)

प्रभारी छात्रवृत्ति विभाग

जी.टी. पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, जावरा